भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. **437**/उ.प्र.-वि.स./**2017** दिनांक: **6** मार्च, 2017

नोटिस

यत: भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक **4** जनवरी, 2017 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/**1/2017** के द्वारा गोवा की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अनुसूची की घोषणा कर दी है और उक्त तारीख से तत्काल प्रभाव से राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध लागू हो गए हैं; और

2. यत: राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु आदर्श आचार संहिता के पैरा **(1)** के उप-पैरा **(4)** में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि दलों एवं अभ्यर्थियों को निष्ठापूर्वक ऐसी सभी गतिविधियों से बचना चाहिए जो ''भ्रष्ट आचरण'' है और निर्वाचन विधि के अंतर्गत निर्वाचकीय अपराध हैं जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना**.....** ; और

3. यत:, आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से दिनांक **05** मार्च, **2017** की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि आपने दिनांक **04.03.2017** को विभूति नारायण राजकीय इंटर कालेज, ज्ञानपुर, भदोही के खेल के मैदान में निर्वाचन बैठक को संबोधित करते समय इस आशय का वक्तव्य दिया है "*.....और कम से कम श्री रामरती बिन्द जी की ज्यादा मदद करना, वहाँ तो अलग तरह का आदमी चुनाव लड़ रहा है। बताओ कभी समझ पाये उस आदमी को, अलग तरह का है वो, बड़ी मुश्किल से दूर गया है, अब आने मत देना दुबारा।* ***सुना है कि बहुत पैसा बंट रहा है, पैसा, पैसा भी रख लेना और साईकिल को याद रखना।"*** **(***वीडियो क्लिपिंग की एक प्रति संलग्न है***)** ; और

4. यत:, रिश्वतखोरी या निर्वाचकों को रिश्वतखोरी के लिए उकसाना भारतीय दण्ड संहिता की धारा **171**ड के अधीन अपराध है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा **123(1)** के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण भी है और अत: आयोग का प्रथम दृष्टया यह मत है कि आपका उपर्युक्त वक्तव्य आदर्श आचार संहिता के पैरा **(1)** के उप-पैरा **(4)** के उपबंधों का उल्लंघन है;

5. अत:, अब आपसे एतद्द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक **07/03/2017** को अपराह्न **5:00** बजे तक यह स्पष्ट करें कि आदर्श आचार संहिता के उपरोक्त उल्लंघन के लिए क्यों न आपके

विरूद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा भारत निर्वाचन आयोग आपको और आगे सूचित किए बिना इस संबंध में स्वयं ही निर्णय ले लेगा।

आदेश से,

(ए.एन दास)
सचिव

सेवा में

श्री अखिलेश यादव,
अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी,
लखनऊ।